राजस्थान विधान सभा

नवम् सत्र

कार्य-सूची

सोमवार, दिनांक 23 अक्टूबर, 2017

बैठक का समय-प्रात: 11.00 बजे

1. सदन की मेज पर रखे जाने वाले पत्रादि

(क) सचिव, राजस्थान विधान सभा, गत सत्रों में पारित उन विधेयकों का विवरण सदन की मेज पर रखेंगे, जिन पर राष्ट्रपति/राज्यपाल महोदय की अनुमति प्राप्त हो चुकी है

(ख) अध्यादेश

श्री गुलाब चन्द कटारिया, गृह मंत्री निम्नांकित अध्यादेश सदन की मेज पर रखेंगे :-

1- दण्ड प्रक्रिया संहिता (राजस्थान संशोधन) अध्यादेश, 2017 (2017 का अध्यादेश संख्यांक -2)

2- दण्ड विधियां (राजस्थान संशोधन) अध्यादेश, 2017 (2017 का अध्यादेश संख्यांक-3)

2. वित्तीय कार्य

अनुपूरक अनुदान की मांगें वर्ष 2017-2018 (प्रथम संकलन) का उपस्थापन

श्री राजपाल सिंह शेखावत, उद्योग मंत्री राजस्थान शासन के व्यय हेतु अनुपूरक अनुदान की मांगें वर्ष 2017-2018 (प्रथम संकलन) का उपस्थापन करेंगे ।

3. विधायी कार्य

पुर:स्थापित किये जाने वाले विधेयक

(I) दण्ड विधियां (राजस्थान संशोधन) विधेयक, 2017

(I) श्री गुलाब चन्द कटारिया, प्रभारी मंत्री निम्नांकित विधेयक को पुर:स्थापित करने की आज्ञा के लिए प्रस्ताव करेंगे :-

दण्ड विधियां (राजस्थान संशोधन) विधेयक, 2017 (2017 का विधेयक संख्या-38)

"दण्ड प्रक्रिया संहिता, 1973 और भारतीय दण्ड संहिता, 1860 को इसके राजस्थान राज्य में लागू होने के संबंध में और संशोधित करने के लिए विधेयक ।"

(II) प्रभारी मंत्री विधेयक को पुर:स्थापित भी करेंगे।

(III) प्रभारी मंत्री प्रक्रिया के नियम-63(1) के अन्तर्गत दण्ड विधियां (राजस्थान संशोधन) अध्यादेश, 2017 (2017 का अध्यादेश संख्यांक-3) को जारी करने के कारणों का विवरण भी सदन की मेज पर रखेंगे ।

जारी..2..

(II) दण्ड प्रक्रिया संहिता (राजस्थान संशोधन) विधेयक, 2017

(I) श्री गुलाब चन्द कटारिया, प्रभारी मंत्री निम्नांकित विधेयक को पुर:स्थापित करने की आज्ञा के लिए प्रस्ताव करेंगे :-

दण्ड प्रक्रिया संहिता (राजस्थान संशोधन) विधेयक, 2017
(2017 का विधेयक संख्या-39)

"दण्ड प्रक्रिया संहिता, 1973 को, उसके राजस्थान राज्य में लागू होने के संबंध में और संशोधित करने के लिए विधेयक ।"

(II) प्रभारी मंत्री विधेयक को पुर:स्थापित भी करेंगे।

(III) प्रभारी मंत्री प्रक्रिया के नियम-63(1) के अन्तर्गत दण्ड प्रक्रिया संहिता (राजस्थान संशोधन) अध्यादेश, 2017 (2017 का अध्यादेश संख्यांक-2) को जारी करने के कारणों का विवरण भी सदन की मेज पर रखेंगे ।

(III) राजस्थान विधान सभा सदस्य (निरर्हता-निवारण) विधेयक, 2017

(I) श्री राजेन्द्र राठौड़, प्रभारी मंत्री निम्नांकित विधेयक को पुर:स्थापित करने की आज्ञा के लिए प्रस्ताव करेंगे :-

राजस्थान विधान सभा सदस्य (निरर्हता-निवारण) विधेयक, 2017
(2017 का विधेयक संख्या-40)

"लाभ के कतिपय पद उनके धारकों को, राज्य की विधान सभा के सदस्य होने या सदस्य के रूप में चुने जाने से निरर्हित नहीं करते, यह घोषणा करने के लिए विधेयक ।"

(II) प्रभारी मंत्री विधेयक को पुर:स्थापित भी करेंगे।

(IV) राजस्थान सिंचाई प्रणाली के प्रबन्ध में कृषकों की सहभागिता (संशोधन) विधेयक, 2017

(I) डॉ. रामप्रताप, प्रभारी मंत्री निम्नांकित विधेयक को पुर:स्थापित करने की आज्ञा के लिए प्रस्ताव करेंगे :-

राजस्थान सिंचाई प्रणाली के प्रबन्ध में कृषकों की सहभागिता (संशोधन) विधेयक, 2017
(2017 का विधेयक संख्या-37)

"राजस्थान सिंचाई प्रणाली के प्रबंध में कृषकों की सहभागिता अधिनियम,2000 को संशोधित करने के लिए विधेयक ।"

(II) प्रभारी मंत्री विधेयक को पुर:स्थापित भी करेंगे।

(V) राजस्थान सहायता उपक्रम (विशेष उपबंध) (संशोधन) विधेयक, 2017

(I) श्री राजपाल सिंह शेखावत, प्रभारी मंत्री निम्नांकित विधेयक को पुर:स्थापित करने की आज्ञा के लिए प्रस्ताव करेंगे :-

राजस्थान सहायता उपक्रम (विशेष उपबंध) (संशोधन) विधेयक, 2017 (2017 का विधेयक संख्या-41)	"राजस्थान सहायता उपक्रम (विशेष उपबंध) अधिनियम, 1961 को और संशोधित करने के लिए विधेयक ।"

(II) प्रभारी मंत्री विधेयक को पुर:स्थापित भी करेंगे।

(VI) राजस्थान राज्य विद्युत वितरण प्रबन्ध उत्तरदायित्व (संशोधन) विधेयक, 2017

(I) श्री पुष्पेन्द्र सिंह, प्रभारी मंत्री निम्नांकित विधेयक को पुर:स्थापित करने की आज्ञा के लिए प्रस्ताव करेंगे :-

राजस्थान राज्य विद्युत वितरण प्रबन्ध उत्तरदायित्व (संशोधन) विधेयक, 2017 (2017 का विधेयक संख्या-35)	"राजस्थान राज्य विद्युत वितरण प्रबन्ध उत्तरदायित्व अधिनियम, 2016 को संशोधित करने के लिए विधेयक ।"

(II) प्रभारी मंत्री विधेयक को पुर:स्थापित भी करेंगे।

4. शोकाभिव्यक्ति

निम्नांकित के निधन पर शोक प्रकट किया जायेगा एवं श्रद्धांजलि अर्पित की जायेगी:-

1.	सुश्री कीर्ति कुमारी	- सदस्य, चौदहवीं राजस्थान विधान सभा।
2.	मार्शल अर्जन सिंह	- पूर्व उप राज्यपाल, दिल्ली ।
3.	श्री एन. धरम सिंह	- पूर्व मुख्यमंत्री, कर्नाटक ।
4.	श्री सांवरलाल जाट	- सांसद, सोलहवीं लोकसभा एवं पूर्व सदस्य, नवीं, दसवीं, ग्यारहवीं, बारहवीं एवं चौदहवीं राजस्थान विधान सभा ।
5.	श्री चांदनाथ	- सांसद, सोलहवीं लोकसभा एवं पूर्व सदस्य, बारहवीं राजस्थान विधान सभा ।
6.	श्री घनश्याम जैन	- पूर्व सदस्य, सातवीं एवं ग्यारहवीं राजस्थान विधान सभा।

7. श्री जुगल काबरा - पूर्व सदस्य, ग्यारहवीं राजस्थान विधान सभा।
8. श्री शम्भूदयाल बड़गूजर - पूर्व सदस्य, नवीं एवं दसवीं राजस्थान विधान सभा।
9. राव श्री कमलेन्द्र सिंह - पूर्व सदस्य, छठी, सातवीं एवं नवीं राजस्थान विधान सभा।
10. श्री मेघराज तावड़ - पूर्व सदस्य, सातवीं राजस्थान विधान सभा।
11. श्रीमती सूरज देवी - पूर्व सदस्य, सातवीं राजस्थान विधान सभा।
12. श्री प्रभुलाल शर्मा पूर्व सदस्य,सातवीं राजस्थान विधान सभा।
13. श्री किशन सिंह भाटी - पूर्व सदस्य, छठी राजस्थान विधान सभा।
14. मुजफ्फरनगर (यू.पी.) के पास खतौली में उत्कल एक्सप्रेस रेल हादसे के मृतक ।

पृथ्वी राज
सचिव

विधान सभा भवन,
जयपुर
दिनांक 22 अक्टूबर, 2017